फार्म FORM II

(नियम 24(1) देखें) (See rule 24(1)

सं. No

दिनांक Date:

भारत सरकार Government of India पंजीकरण अधिकारी का कार्यालय Office of the Registering Officer

भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य कर्मकार (नियोजन तथा सेवा भाते विनियमन)
अधिनियम, 1996 की धारा 7 की उपधारा (3) तथा अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के
तहत मेसर्स / श्री को निम्नलिखित
विवरण के साथ अनुलग्नक में विनिर्दिश्ट भार्तों के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया
जाता है । A Certificate of registration is hereby granted under Sub section(3) of Section 7 of
the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of
Serrvice) Act, 1996 and the rules made thereunder, to M/s/Shri
subject to conditions laid down in the Annexure.

- 1. डाक पता / स्थान जहाँ पर नियोक्ता द्वारा भवन तथा अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाना है । Postal address/location where building and other construction work is to carried on by the Employer.
- 2. भवन तथा अन्य सन्निर्माण कार्य का स्थान सहित नियोक्ता का नाम तथा पता Name and address of employer including location of the building and other construction work.
- 3. स्थापना का नाम तथा स्थाई पता । Name and permanent address of the Establishment.

- 4. कार्यं की प्रकृति जिसमें भवन निर्माण कामगारों को नियुक्त किया गया है या नियुक्त किया जायगा । Nature of work in which building workers are employed or to be employed.
- 5. नियोक्ता द्वारा किसी एक दिन नियुक्त किए जाने वाले भवन निर्माण कामगारों की अधिकतम संख्या |Maximum number of building workers to be employed on any day by the employer.
- 6. कार्य आरम्भ तथा समाप्त होने की संभावित तारीख Probable date of commencement and completion of work.
- 7. भवन निर्माण कामगारों के नियोजन से संबंधित अन्य विवरण Other particulars relevant to the employment of building workers.

दिनांक

पंजीयन अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुहर Signature of Registering Officer with seal

अनुलग्नक <u>/AN NEXURE</u>

यह पंजीकरण निम्नलिखित भातों पर किया जाता है, अर्थात् :

The registration granted herein above is subject to the following conditions, namely:

पंजीकरण प्रमाण पत्र हस्तांतरणीय नहीं हैं । Certificate of registration shall be non-transferable.

इस स्थापना में एक दिन में कामगार या भवन निर्माण कर्मकारों की संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिश्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए । Number of workmen employed or building workers in the establishment shall not, exceed the maximum number specified in the certificate of registration.

इन नियमों में प्राविहित के सिवाय पंजीकरण करने के लिए संदत्त फीस का लौटाया नहीं जाएगा । Save or provided in these rules, the fees paid for the grant of registration certificate shall be non-refundable.

नियोक्ता द्वारा भवन निर्माण कामगारों को दिए जाने वाली मजदूरी की दर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत रोजगार अनुसूची में निर्धारित दर, जहाँ पर लागू हो से कम नहीं होनी चाहिए तथा जहाँ पर नियम करार, परिनिर्धारण या अधिनिर्णय द्वारा निर्धारित हो, निर्धारित दर से कम नहीं होनी चाहिए | The rates of wages payable to building workers by the employer shall not be less than the rates prescribed for the Schedule of employment under the Minimum Wages Act, 1948(II of 1948) for such employment, where applicable and where the rates have been fixed by agreement, settlement or award, not less than the rates so fixed.

नियोक्ता को अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पालन करना होगा। The employer shall comply with the provisions of Act, and the rules made thereunder.